न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 94 सन् 2012

सुरेन्द प्रसाद सिंह –––––––वादी

बनाम

सुभाष शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–09.08.2021

वादी की ओर से हाजिरी है। वादी की ओर से दिनांक–16.01.2021 को आदेश 39 नियम 1 वो 2 वो दफा 151 सी0पी0सी0 पर सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादी ने अपने आवेदन में सार रूप से कहा है कि वादी ने तकरारी भूमि पर उप की बातों पर विचार कर अदालत से तजबीज कर दिया जाय की जायदाद सिडियुल नं0 2 वो 3 अर्जीनालिस वादी का है वो प्रतिवादी का कोई हक इन्क्रोच करने उपर जायदाद सिडियुल नं0 2 वो 3 अर्जीनालिश का नहीं है। उपर इन्क्रोचमेंट जानिब प्रतिवादी फेल नाजायज प्रतिवादी का है। वो अन्य पारितोष हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी के द्वारा इन्क्रोचमेंट की गई भूमि पर पुनः नया निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है तथा भूमि का स्वरूप बदलने पर तत्पर है। वादी का प्राईमाफेसी केस है वो बैलेंस ऑफ कन्भेनियेंस भी वादी के पक्ष में है। इंतनाई लागू नहीं होने से वादी को अपूर्णिय क्षति होगा। प्रतिवादी काफी शोख जबरदस्त व्यक्ति है वो किसी वक्त गंभीर घटना का अंजाम दे सकते हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ता फैसला मुकदमा तकरारी एराजी पर इंतनाई आदेश पारित करने की कृपा प्रदान की जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेंख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने तकरारी एराजी पर खतियान एवं वसियतनामा के आधार पर दावा किया है। वादी का सार रूप में वाद यह है कि वादी को अन्य जमीन के अलावे तीन टुकड़ा जमीन अंदर मौजा मुड़थाना प्रगना कसमर पो0

परमानंदपुर थाना–सोनपुर जिला सारण अंदर खाता नं0 32 सर्वे नं0 396 रकबा एक कठा 7 धूर वो सर्वे नं0 397 रकबा 2 कठा 3 धूर वो खाता नं0 37 सर्वे नं0 395 रकबा 11 धूर है जिसमें वादी की मौरूसी मकान वो सहन है वादी की खतियानी जमीन अंदर मौज मुड़थान प्रगना पो0– परमानंदपुर, थाना– सोनपुर, जिला सारण खाता नं0 32 सर्वे नं0 396 रकबा 1 कठा 7 धूर वो सर्वे नं0 397 रकबा 2 कठा 3 धूर है जो वादी के पूर्वज रामसरीख वल्द जगतनारायण राय के नाम से खतियान में मुन्दर्ज है। जगतनारायण राय के दो लड़के एक रामसरीख राय वो दूसरे परशुराम राय हुए। राम सरीख राय के मात्र एक लड़के रामेश्वर सिंह हुए वो रामेश्वर सिंह के एक लड़के सुरेन्द्र प्रसाद सिंह हुए जो इस मुकदमा में वादी है तथा परशुराम राय नावल्द बिना सादी शुदा के फौत कर गए। इसलिए कुल खतियानी जायजात पर पहले वादी के मौरिस का दखल कब्जा हुआ और उसके बाद वादी के दखल कब्ज खुलम खुला सबके जानकारी में शांतिरूप से चला आ रहा है। मौजा मुड़था प्रगना कसमर पो0 परमांनदपुर, थाना– सोनपुर जिला सारण के खाता नं0 37 सर्वे नं0 395 रकबा 11 धूर जो खतियान में बुद्धू राय वल्द छधारी राय करके दर्ज है। बुधू राय के एकमात्र लड़का रामाशंकर सिंह हुए। रामाशंकर सिंह वादी के पिता रामेश्वर सिंह उर्फ रामकिशोर सिंह वल्द रामसरीख सिंह के नाम से उपरोक्त वर्णित जायजात दिनांक 22.11.1971 ई0 को वसियत कर दिए तथा वसियतनामा के दिन से सबके जानकारी में खुलम खुला पहले वादी के मोरिस का दखल कब्जा शांतिपूर्ण रूप से हुआ। तथा वादी के मोरिस के बाद वादी का दखल कब्जा शांतिपूर्वक शांतिपूर्ण रूप से सबके जानकारी में चला आ रहा है। प्रतिवादीगण विवादित जमीन सिडियुल नं0 2 और 3 में जबरदस्ती अतिकमण करना चाह रहे हैं जिसके लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी सोनपुर के न्यायालय में अंदर दफा 144 दं0प0सं0 के अंतर्गत दाखिल किया गया है जो अभी यह प्रासिडिंग अंदर 145 द0प्र0सं0 में परिवर्तित होकर सुनवाई हेतु उक्त न्यायालय में लंबित है। इसके संबंध में वादीगण के तरफ से खतियान एवं वसियतनामा की छायाप्रति संलग्न की गई है।

प्रतिवादी को प्रतिउत्तर से वंचित किया गया है। इस वाद में सर्वे अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की गई है जिन्होंने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि खाता नं0 37 वो 32 सर्वे नं0 395 वो 396 में एकोड़े उत्तर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण कर अपने प्लॉट नं0 394 में मिला लिए है अतिक्रमण 100 कड़ो लं0 पूरबे–पश्चिम एवं 10 कड़ो चौडा उत्तरे– दक्षिण हैं अर्थात् 100 कड़ी गुणा 10 कड़ी बराबर 1000 व0 क0 भागा 186 बराबर 5 धूर 7.52 धूर अतिक्रमित जमीन में खाचा दिवाल खोप का अंश तथा पूरब तरफ खाली जमीन है। सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट के संबंध में प्रतिवादी द्वारा आपत्ति दाखिल किया गया है। जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के द्वारा तकरारी एराजी में अतिक्रमण किया गया है या नहीं। वह सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट पर आदेश पारित होने के बाद ही निश्चय किया जा सकता है। अभिलेख अभो वादी के साक्ष्य हेतु चल रहा है। जबतक साक्ष्य नहीं आ जाता तब तक इस आवेदन का निश्चय नहीं किया जा सकता हैं। अतः वादी का इंतनाई आवेदन दिनांक 16.01.2021 को निस्तारित किया जाता है।

वाद दिनांक 02.09.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।